इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक01.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 20,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 20,000-/ रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.07.2017 को वादिनी श्री मती सर्वेश कुमारी पत्नी अवधेश ने थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की 13 वर्षीय पुत्री बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर **मु0अ0सं0 381/17 धारा 363,366 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक श्री विकास कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र मुकेश कुमार शर्मा निवासी 186 ओल्ड पी.ए.सी. गली थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 पवन आर्या एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 01.03.2024 को अन्तर्गत धारा 363,366,भादवि में मा0 न्यायालय अपर शत्र न्यायाधीश /स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जनपद इटावा द्वारा 03वर्ष के कारावास की सजा व 20,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राहुल शर्मा पुत्र मुकेश कुमार शर्मा निवासी 186 ओल्ड पी.ए.सी. गली थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।**